न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—101 / 2025

प्रार्थीः—

मांगीलाल पुत्र खुशालाराम जाति सुथार निवासी लालिया तहसील समदडी जिला बालोतरा (राज.)

बनाम

विप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. शाखा प्रबन्धक, आर.एम.जी.बी. मजल तहसील समदडी जिला बालोतरा।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री गणपतसिंह व ललित जांगिड अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 22.01.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.रा.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 207, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 व 125 रकबा क्रमशः 8.1342, 2.0639, 6.3940, 0.0162, 0.1214, 0.0890, 7.6971, 0.7770 व 0.5908 हैक्टेयर भूमि ग्राम लालीया तहसील समदडी में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम ''मागाराम पुत्र खुशालाराम'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी में प्रार्थी का वास्तविक नाम ''मांगीलाल पुत्र खुशालाराम'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, बैंक डायरी, आदि प्रस्तुत किये ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम "मांगीलाल पुत्र खुशालाराम" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 207, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 व 125 रकबा क्रमशः 8.1342, 2.0639, 6.3940, 0.0162, 0.1214, 0.0890, 7.6971, 0.7770 व 0.5908 हैक्टेयर भूमि ग्राम लालीया तहसील समदडी में प्रार्थी का नाम "मांगाराम पुत्र खुशालाराम" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, बैंक डायरी व परिवार राशनकार्ड, आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम "मांगीलाल पुत्र खुशालाराम" दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम "मांगाराम पुत्र खुशालाराम" करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम "मांगीलाल पुत्र खुशालाराम" होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 207, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 व 125 रकबा क्रमशः 8.1342, 2.0639, 6.3940, 0.0162, 0.1214, 0.0890, 7.6971, 0.7770 व 0.5908 हैक्टेयर भूमि ग्राम लालीया तहसील समदडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम "मागाराम पुत्र खुशालाराम"के स्थान पर "मांगीलाल उर्फ मागाराम पुत्र खुशालाराम" दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)